

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जयप्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

**विषय :-** नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं०-164 दिनांक-19/03/19 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी0एल0 खाता संख्या-259 सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में रखी जाएगी, जो आवश्यकतानुसार बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लि0 को विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. (i) राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-46 पर की जायेगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। विपत्र के साथ बुडा के पी0एल0 खाता नं० संलग्न करनी होगी।

(ii) कोषागार पदाधिकारी, बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) जो नगर विकास एवं आवास विभाग का State Level Nodal Agency (SLNA) है, के पी0एल0 खाता सं.-259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जायेगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

H

(iii) सहायक अनुदान के रूप में अंतरित की गई राशि का त्रैमासिक लेखा बुडा द्वारा त्रैमास के अगले माह की 15वीं तिथि तक कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा। लगातार दो त्रैमासिक का व्यय लेखा समर्पित नहीं करने पर कोषागार पदाधिकारी पी0एल0 चेक पारित करने से इन्कार कर सकते हैं।

(iv) पी0एल0 खाते से सीधे लाभुकों/भुगतान प्राप्तकर्ता को भी चेक के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

6. स्वीकृत राशि 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) राशि मांग सं.-48-मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-05- अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ -लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0102- योजनाओं का अनुश्रवन/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु, विपत्र कोड-48-2217050010102, विषय शीर्ष-31, सहायता अनुदान-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अलावा राज्य योजना मद में उपबंधित राशि 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) से 2018-19 में विकलनीय होगा।

7. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि सहायक अनुदान की है और योजनाओं के अनुश्रवन/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों के लिए व्यय किया जाना है। इसलिए राशि की निकासी (BTC) फॉर्म 46 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/बुडा-01/2019- / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक-  
प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/बुडा-01/2019- 125 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक- 19-03-19  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/माननीय मंत्री, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा-2(बजट)/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.19  
विशेष सचिव।

## बिहार सरकार

## नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जयप्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

**विषय :-** नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू० 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रू० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश :-** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू० 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रू० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. रू० 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रू० मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या-259 सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में रखी जाएगी, जो आवश्यकतानुसार बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लि० को विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. (i) राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म-46 पर की जायेगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। विपत्र के साथ बुडा के पी०एल० खाता नं० संलग्न करनी होगी।

(ii) कोषागार पदाधिकारी, बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) जो नगर विकास एवं आवास विभाग का State Level Nodal Agency (SLNA) है, के पी०एल० खाता सं.-259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जायेगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

(iii) सहायक अनुदान के रूप में अंतरित की गई राशि का त्रैमासिक लेखा बुडा द्वारा त्रैमास के अगले माह की 15वीं तिथि तक कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा। लगातार दो त्रैमासिक का व्यय लेखा समर्पित नहीं करने पर कोषागार पदाधिकारी पी0एल0 चेक पारित करने से इन्कार कर सकते हैं।

(iv) पी0एल0 खाते से सीधे लाभुकों/भुगतान प्राप्तकर्ता को भी चेक के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

6. स्वीकृत राशि 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) राशि मांग सं.-48-मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-05- अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ -लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0102- योजनाओं का अनुश्रवन/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु, विपत्र कोड-48-2217050010102, विषय शीर्ष-31, सहायता अनुदान-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अलावा राज्य योजना मद में उपबंधित राशि 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) से 2018-19 में विकलनीय होगा।

7. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि सहायक अनुदान की है और योजनाओं के अनुश्रवन/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों के लिए व्यय किया जाना है। इसलिए राशि की निकासी (BTC) फॉर्म 46 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ.- ५...../टि. पर दिनांक-19.3.19.....को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ-.....५...../टि. पर दिनांक-..... 19.3.19.....को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/बुडा-01/2019- / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक-  
प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

ह0/-  
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/बुडा-01/2019- 164 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक-19.3.19  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/ अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मा0 मंत्री, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा-2(बजट)/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.19  
विशेष सचिव।